



## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

डी० डी० ए० शांतिनगर-आफिस कम्प्लेक्स, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008 XXX

सं० 11-30320-101-ZONE-2/97

दिनांक 21.5.77

सेवा में,

मैसर्स MARUBENI INDIA PRIVATE LIMITED

WORLD TRADE TOWER, 5TH FLOOR,  
PARAKHANSA LANE, NEW DELHI-01.

विषय : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( मयासंगोधित ) की धारा 2 (12)/1 (5) के अंतर्गत कर्मचारियों तथा फॅक्टरियों/स्थापनाओं का पंजीकरण ।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अधिसूचना सं० एच० एफ०-12(36) दिनांक 1-2-52 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली (क्षेत्र) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन शामिल सभी फॅक्टरियों पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया गया है ।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिनियम के उपबंधों का विस्तार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1 (5) के अधीन अन्य स्थापनाओं पर नीचे उल्लिखित तारीख से किया है ।

स्थापनाओं का विवरण	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	क० रा० बीमा (एसिक) योजना के विस्तार की तारीख
1. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई परिसर (उसके उप-क्षेत्रों सहित) में जहाँ दस अथवा इससे अधिक लेकिन किसी भी दशा में 20 से कम व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे तथा उसके किसी भी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारणतया विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है ।	एफ-27(2)/75-लैब 28-3-75	29-3-75
2. पिछले बारह महीनों के दौरान किसी भी दिन कोई व्यक्ति परिसर में नियोजित है अथवा नियोजित था तथा उसके किसी भाग में विद्युत शक्ति की सहायता से असाधारणतया विनिर्माण प्रक्रिया चलाई जा रही है ।	—वही—	—वही—
3. निम्नलिखित स्थापनाएँ जहाँ पिछले 12 महीनों के दौरान किसी तारीख को 20 अथवा उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं अथवा नियोजित थे जैसे ;—	—वही—	—वही—
1. होटल		
2. रेस्तरा		
3. पूर्व बर्सेन-थियेटर सहित सिनेमा		
4. सड़क मोटर परिवहन	एफ-27(2)/74-लैब दिनांक 26-3-76	28-3-76
5. समाचार पत्र परिवहन		
6. दुकानें	एच-28 (20)/88/आई.एम.पी.लैब दिनांक 30-9-88	2-10-88

अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन ऐसी किसी फॅक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन पंजीकृत कराना आवश्यक है जहाँ उसके अध्याय 4 के अनुसार मुख्य नियोजक को यह जिम्मेदारी है की वह अपने कर्मचारियों को योजना में शामिल कराएँ तथा अधिनियम के अधीन उनके संबंध में अंशदान की अदायगी करें ।

क०प०च०

Marubeni India Private Limited  
Unit No.01, 3rd Floor,  
Building A-7, Shaheed Jost Singh Marg,  
Qutab Institutional Area,  
New Delhi-110067

Marubeni India Private Limited

KAZUYA SATO  
DIRECTOR  
DIN-08950454

3/10/2022  
Ajmeri Gate

आपके द्वारा आपकी फ़ैक्टरी/स्थापना के संबंध में दिए गए व्योरो सहित दिनांक ~~XXXXXXXX~~ 22-04-97

बीमा निरीक्षण/स्थानीय कार्यालय प्रबंधन द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर आपकी फ़ैक्टरी स्थापना तरीख 01.01-97 से अग्रिम/अनन्तिय रूप से अधिनियम की धारा 2 (12) व 1 (5) के क्षेत्र में आती है लेकिन यदि बाद के तर्कों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपकी फ़ैक्टरी/स्थापना उपरिलिखित तारीख से पहले की किसी तारीख से उपर्युक्त वृणित तारीख से शामिल की जानी थी तो आप ऐसी पहले की तारीख से अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

उपरोक्त विषय पर निवेदन

आपसे अनुरोध है कि अपनी फ़ैक्टरी/स्थापना को अधिनियम के अधीन शामिल किये गये तारीख से अपने कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने, घोषणा पत्र भरने तथा अंशदान का भुगतान करने, रिफ़ाई के अनुरक्षण आदि के संबंध में भी धन कारवाई करें। सुविधा की दृष्टि से आपकी स्थापना को कोड सं० ..... आवंटित की गयी है। इस कार्यालय को भेजे गए सभी पत्रादि में तथा फार्मों में निदिष्ट स्थानों पर इस कोड सं० का प्रयोग करें। Ajmeri Gate

पर स्थित स्थानीय कार्यालय को आपके कर्मचारियों के पंजीकरण के संबंध में आपको आवश्यक सहायता देने के अनुरोध दिये गए हैं। यदि कोई कठिनाई हो तो आप कृपया उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय के प्रबंधकों से सम्पर्क करें जो मामले में आपकी धीरे धीरे सहायता करेगा। निवेदन है कि आप अपनी फ़ैक्टरी/स्थापना में राज्य बीमा अधिभागों की संलग्न सूची का प्रचार करें ताकि आपके कर्मचारी अपने राज्य बीमा अधिभागों का चुनाव कर सकें। सभी धीरे धीरे काम आदि उपर्युक्त स्थानीय कार्यालय से प्राप्त करें, उक्त कार्यालय के साथ आपके सभी कर्मचारी संबंध किए जाएंगे।

कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान स्वीकार करने वाली बैंक की शाखाओं की सूची संलग्न है। आर कृपया अपनी सुविधा के अनुसार किसी एक बैंक का चुनाव करके और उसकी सूचना इस कार्यालय तथा भारतीय स्टेट बैंक की संबंधित शाखा को भेज दें। आप केवल इसी शाखा में कर्मचारी राज्य बीमा राशि का भुगतान करें। यदि पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई तो आपके द्वारा जिस शाखा में राशि जमा कराई जाएगी उसी शाखा को आपकी फ़ैक्टरी स्थापना की नामजद शाखा मान लिया जाएगा।

निम्न कर्मचारी आपके कार्य को निपटाने में तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की बाध्यताओं का पालन करने में आपकी सभी आवश्यक हर सम्भव सहायता करेगे तथा मुझे विश्वास है कि आप अपनी ओर से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों तथा विनियमों का तत्परता से और समय पर पालन करेंगे। आपसे यह भी अनुरोध है कि सभी प्रकार से संलग्न फार्म 01 विधिवत भरकर इस कार्यालय को तत्काल भेजने की कृपा करें।

Please contact R.O./L.O. for guidance.

भवदीय,

संलग्न :-

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को प्रेषित Ajmeri Gate

कृते क्षेत्रीय निदेशक

1. स्थानीय कार्यालय
  2. बीमा शाखा क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली
  3. निरीक्षण शाखा 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली
  4. बीमा निरीक्षक श्री/श्रीमती ..... प्रभाग सं० 29-A
- इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि यह इस फ़ैक्टरी की अन्तिम व्योपत्ति की तारीख को तथा भी धन निर्धारित कराने की कृपा करें।
5. गार्ड फाइल

E-26

Marubeni India Private Limited  
Unit No.01, 3rd Floor,  
Building A-2, Shaheed Jeeb Singh Marg,  
Qutab Institutional Area,  
New Delhi-110067

कृते क्षेत्रीय निदेशक Marubeni India Private Limited



KAZUYA SATO  
DIRECTOR  
DIN-08950454